Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर CNR NUMBER 2024/113

Number of Case A/240/ Year 2024

धनराज व अन्य Versus गोरखाराम व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 RTA - 1955

ate	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
25/07/24	पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी उप। एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते बहस अधि. अप्रार्थी पत्रावली दिनांक 29/07/24 को पेश हो।	
	Pujaram सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
29/07/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " ग्राम बैरू रक. सं. 342 (22-10 बीघा), रक. सं. 342। (10 बिस्वा), रक. सं. 486 (07-03 बीघा) भूमि गौरखराम, भाईदानराम की खातेदारी में थी। गौरखराम, भाईदानराम द्वारा अपनी खातेदारी में से 03 बीघा, 11.15 बिस्वा भूमि का बेचान खेराजराम को जरिए रुबु बैयनामा दिनांक 25/09/79 को किया गया। उक्त बैयनामा में रक. सं. 486 के पड़ौस दर्शाकर बेचान किया गया है। किंतु बैयनामा में भूलवश रक. सं. 486 के स्थान पर रक. सं. 426 अंकित हो गया। वर्तमान में रक. सं. 486 पर खेराजराम के वारिसान काबिज हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने पर उतारू हैं, अतः उन्हें पाबंद किया जावे"	
	मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी - " अप्रार्थीगण के पिता ने कभी अपनी भूमि का बैचान नहीं किया। रक. सं. 486 में प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। रुबु. बैयनामा में रक. सं. 426 अंकित है। अप्रार्थीगण ने मूल बैयनामा न्यायालय में पैश करने हेतु प्रा. पत्र दिया है। मूल बैयनामा से ही ज्ञात होगा कि	

Order Sheet (Subsequent)

2024/113

CNR NUMBER

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Number of Case A/240/ Year 2024

धनराज व अन्य Versus जोरावराम व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 PRA 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	अप्रार्थीगण के पिता के हस्ताक्षर नहीं है।" खेराजराम द्वारा प्रतिपादित अन्य 02 बैयनामे पेश किये गये हैं, जो खेराजराम ने बेचान किया। अन्य कोई बेचान खेराजराम द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। यदि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण होता है तो अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ख. सं. 486 के 03 बीघा 11.05 बिस्वा भूमि के record की यथास्थिति बनाए रखें और प्रार्थीगण के कब्जे में दखल ना करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।	
	Priniyal सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) जोधपुर	